



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263081
CG-DL-E-14052025-263081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2062]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2107(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के लातेहार जिले में NH75 के कि.मी. 97.515 से कि.मी.130.6 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् काला कम डीएलएओ लातेहार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के लातेहार जिले में NH75 के कि.मी. 97.515 से कि.मी.130.600 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: लातेहार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मनिका					
गांव का नाम: सिंजो					
1	177	निजी (रैयती)	टांड-2	0.1365 (एकर)	0.0552408
2	179	निजी (रैयती)	टांड-2	0.4256 (एकर)	0.172238
3	180	निजी (रैयती)	टांड-2	0.1882 (एकर)	0.0761635
4	184	निजी (रैयती)	टांड-2	0.6937 (एकर)	0.2807365
गांव का नाम: मनिका					
5	1312/2566	सरकारी (गैरमजरूआ)	पुरानी परती	0.4 (एकर)	0.1618778
6	2123	निजी (रैयती)	टांड-2	0.1308 (एकर)	0.052934
गांव का नाम: ऐजामांड					
7	103	सरकारी (वन विभाग)	जंगल	1.6744 (एकर)	0.6776204
8	76	सरकारी (गैरमजरूआ)	धान-2	0.0079 (एकर)	0.0031971
गांव का नाम: नामुदाग					
9	1008/1737	निजी (रैयती)	धान २	0.03 (एकर)	0.0121408
10	1008/1738	निजी (रैयती)	धान २	0.0397 (एकर)	0.0160664
11	1008/1739	निजी (रैयती)	धान २	0.03 (एकर)	0.0121408
12	1631	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	टांड-2	0.0857 (एकर)	0.0346823
13	533	निजी (रैयती)	धान २	0.1785 (एकर)	0.072238
14	988	निजी (रैयती)	टांड-2	0.054 (एकर)	0.0218535
गांव का नाम: दुन्दु					
15	402	निजी (रैयती)	टांड-2	0.1336 (एकर)	0.0540672
गांव का नाम: लाली					
16	711	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	पुरानी परती	0.1325 (एकर)	0.053622

गांव का नाम: नदबेलवा					
17	436	सरकारी (वन विभाग)	जंगल	0.4757 (एकर)	0.1925132
तालुक का नाम: लातेहार					
गांव का नाम: होटवाग					
18	269	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	टांड-2 नई परती 2 साल	0.3311 (एकर)	0.1339943
19	372	निजी (रैयती)	टांड-1	0.2669 (एकर)	0.108013
गांव का नाम: पाण्डेपुर					
20	1315	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	बोंध	0.0198 (एकर)	0.008013
21	1316	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	धान-2	0.0494 (एकर)	0.0199919
22	1325	निजी (रैयती)	धान-1	0.46 (एकर)	0.1861594
23	1358	निजी (रैयती)	धान-1	0.1211 (एकर)	0.0490085
24	1359	निजी (रैयती)	धान-1	0.0176 (एकर)	0.0071226
25	1499	निजी (रैयती)	धान-1	0.7018 (एकर)	0.2840146
26	1501	निजी (रैयती)	टांड-2	0.0243 (एकर)	0.0098341
27	1502	निजी (रैयती)	धान-2	0.48 (एकर)	0.1942533
28	1503	निजी (रैयती)	धान-2	0.05 (एकर)	0.0202347
29	1504	निजी (रैयती)	धान-1	0.5782 (एकर)	0.2339943
30	1505	निजी (रैयती)	धान-2	0.16 (एकर)	0.0647511
31	1506	निजी (रैयती)	धान-2	0.2 (एकर)	0.0809389
32	1509	निजी (रैयती)	धान-2	0.0568 (एकर)	0.0229867
33	1510	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	धान-2	0.86 (एकर)	0.3480372
34	1511	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	टांड-2	1.6866 (एकर)	0.6825577
35	1512	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	धान-2	0.4 (एकर)	0.1618778
36	1517	सरकारी (अनाबाद बिहार सरकार)	जंगल	0.0173 (एकर)	0.0070012
गांव का नाम: इचाक					
37	244	निजी (रैयती)	टांड-2	0.2372 (एकर)	0.0959935
38	356	निजी (रैयती)	धान-2	0.4077 (एकर)	0.1649939
गांव का नाम: नवाडीह					
39	103	निजी (रैयती)	धान-2	0.3432 (एकर)	0.1388911
गांव का नाम: उदैपुरा					
40	659	सरकारी (अनाबाद	कच्ची सड़क	0.015 (एकर)	0.0060704

		सर्व साधारण)			
Total					4.9780655

[फा. सं. NHAI/RO/RNC/JH/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2107(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km. 97.515 to Km. 130.600 in the district of LATEHAR in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA CUM DLAO LATEHAR in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in NH-75 in the stretch of land from Km. 97.515 to Km. 130.600 in the district of LATEHAR in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: LATEHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Manika					
Village: Sinjo					
1	177	Private (Raiyti)	Tand-2	0.1365 (Acre)	0.0552408
2	179	Private (Raiyti)	Tand-2	0.4256 (Acre)	0.172238
3	180	Private (Raiyti)	Tand-2	0.1882 (Acre)	0.0761635
4	184	Private (Raiyti)	Tand-2	0.6937 (Acre)	0.2807365
Village: Manika					
5	1312/2566	Government (Garmjruaa)	Puranee Paratee	0.4 (Acre)	0.1618778
6	2123	Private (Raiyti)	Tand-2	0.1308 (Acre)	0.052934
Village: Ejamar					
7	103	Government (Van Vibhag)	Jangal	1.6744 (Acre)	0.6776204
8	76	Government (Gairmajrua)	Dhan-2	0.0079 (Acre)	0.0031971
Village: Namudag					
9	1008/1737	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.03 (Acre)	0.0121408

10	1008/1738	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.0397 (Acre)	0.0160664
11	1008/1739	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.03 (Acre)	0.0121408
12	1631	Government (Anabad bihar sarakaar)	Tand-2	0.0857 (Acre)	0.0346823
13	533	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.1785 (Acre)	0.072238
14	988	Private (Raiyti)	Tand-2	0.054 (Acre)	0.0218535
Village: Dundu					
15	402	Private (Raiyti)	Tand-2	0.1336 (Acre)	0.0540672
Village: Lali					
16	711	Government (Anabad bihar sarakaar)	Puranee Paratee	0.1325 (Acre)	0.053622
Village: Nadbelwa					
17	436	Government (Vanvibhag)	Jangal	0.4757 (Acre)	0.1925132
Taluk: Latehar					
Village: Hotwag					
18	269	Government (Anabad bihar sarakaar)	Tand-2 Nai Paratee 2 saal	0.3311 (Acre)	0.1339943
19	372	Private (Raiyti)	Tand-1	0.2669 (Acre)	0.108013
Village: Pandepur					
20	1315	Government (Anabad Bihar Sarkar)	Bandh	0.0198 (Acre)	0.008013
21	1316	Government (Anabad bihar sarakaar)	Dhan-2	0.0494 (Acre)	0.0199919
22	1325	Private (Raiyti)	Dhan-1	0.46 (Acre)	0.1861594
23	1358	Private (Raiyti)	Dhan-1	0.1211 (Acre)	0.0490085
24	1359	Private (Raiyti)	Dhan-1	0.0176 (Acre)	0.0071226
25	1499	Private (Raiyti)	Dhan-1	0.7018 (Acre)	0.2840146
26	1501	Private (Raiyti)	Tand-2	0.0243 (Acre)	0.0098341
27	1502	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.48 (Acre)	0.1942533
28	1503	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.05 (Acre)	0.0202347
29	1504	Private (Raiyti)	Dhan-1	0.5782 (Acre)	0.2339943
30	1505	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.16 (Acre)	0.0647511
31	1506	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.2 (Acre)	0.0809389
32	1509	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.0568 (Acre)	0.0229867
33	1510	Government (Anabad bihar sarakaar)	Dhan-2	0.86 (Acre)	0.3480372
34	1511	Government (Anabad Bihar Sarkar)	Tand-2	1.6866 (Acre)	0.6825577
35	1512	Government (Anabad Bihar Sarkar)	Dhan-2	0.4 (Acre)	0.1618778
36	1517	Government (Anabad Bihar Sarkar)	Jangal	0.0173 (Acre)	0.0070012
Village: Ichak					
37	244	Private (Raiyti)	Tand-2	0.2372 (Acre)	0.0959935
38	356	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.4077 (Acre)	0.1649939
Village: Nawadih					
39	103	Private (Raiyti)	Dhan-2	0.3432 (Acre)	0.1388911

Village: Udaipura					
40	659	Government (Anabad Sarv Sadharan)	Kachhi Sadak	0.015 (Acre)	0.0060704
Total					4.9780655

[F. No. NHAI/RO/RNC/JH/LA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director